

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:- राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 43/2016(2016/00141) वाद पत्र

उनवान

1-डालु आत्मज कालु बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-मु० मानी बेवा रामा बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2-अमरा आत्मज केला बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3-मु० डाली पत्नि पेमा बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4-चैना आत्मज सुरजा बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय:-

4/1-उदयलाल आत्मज चैना बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4/2-बंशीलाल आत्मज चैना बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4/3-धर्मचन्द आत्मज चैना बलाई नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता मु० छगुडी बेवा चैना बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4/4-मु० मोहनी पुत्री चैना बलाई पत्नि तुलछा बलाई हाल निवास डेकवाड़ा तहसील आमेत जिला राजसमन्द

4/5-मु० पुष्पा पुत्री चैना बलाई पत्नि प्रकाश बलाई हाल निवास सबला का खेड़ा तहसील आमेत जिला राजसमन्द

4/6-मु० शांति पुत्री चैना बलाई पत्नि दीपचन्द बलाई हाल निवास सबला का खेड़ा तहसील आमेत राजसमन्द

4/7-मु० छगुडी बेवा चैना बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज० टी० एक्ट

उपस्थित

1-महेन्द्रसिंह चुण्डावत-

अधिवक्ता वादी

2-हरीश टेलर-

अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 28.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प खांखरमाला में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 152 रकबा 0.02 है० मे राजीनामा पत्र के अनुसार वादी डालु का 1/8 हिस्सा के साथ प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/7 का संयुक्त रूप से 1/8 वे हिस्से का भी अलग किया जावे व उक्त विभाजन मे रास्तानुमा ही आकृति रखते हुए विभाजन किया जावे व दोनो पक्षो को इसका स्वतंत्र




कब्जा भी दिलाया जावे इस भूमि के आगे वादी की भूमि है उसमे इसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 4/1 लगायत 4/7 भी होते हुए वह भी अपनी भूमि मे आवेगे जावेगे तो वादी आपति नही करेगे। पुस्त पर नजरी नक्शा इसका भाग होगा। इस हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 28.05.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है—

कस	कृषकों का नाम	खसरा न०	क्षेत्रफल	किस्म
01	डालु पिता कालु 1/2 उदयलाल बंशीलाल धर्मचंद पिता चेना मोहनी पुष्पा शान्ति पुत्रिया चेना हगामी पत्नी स्व० चेना 1/2 बलाई सा० देह खातेदार	152/1	0.0050	खादी ॥
02	मानी बेवा रामा 1/3 अमरा पिता केला 1/3 डाली देवी पत्नी पेमा 1/3 बलाई सा देह खातेदार	152/2	0.0150	खादी ॥

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। यह आज तारीख 28.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर जिला भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- राजलक्ष्मी गहलोत

उनवान

1-डालु आत्मज कालु बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

- 1-मु0 मानी बेवा रामा बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 2-अमरा आत्मज केला बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 3-मु0 डाली पत्नि पेमा बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 4-चैना आत्मज सुरजा बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा मृतक के बजाय:-
- 4/1-उदयलाल आत्मज चैना बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 4/2-बंशीलाल आत्मज चैना बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 4/3-धर्मचन्द आत्मज चैना बलाई नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता मु0 छगुडी बेवा चैना बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 4/4-मु0 मोहनी पुत्री चैना बलाई पत्नि तुलछा बलाई हाल निवास डेकवाडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
- 4/5-मु0 पुष्पा पुत्री चैना बलाई पत्नि प्रकाश बलाई हाल निवास सबला का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
- 4/6-मु0 शांति पुत्री चैना बलाई पत्नि दीपचन्द बलाई हाल निवास सबला का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
- 4/7-मु0 छगुडी बेवा चैना बलाई निवासी खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नम्बर :- 43/2016(2016/00141) वाद पत्र

निर्णय दिनांक:- 28.05.2018

वाद में आज तारीख 28.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 की राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत खांखरमाला के समक्ष अंतिम निपटारो के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम खांखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

कस कृषकों का नाम

खसरा न0 क्षेत्रफल किस्म

- 01 डालु पिता कालु 1/2 उदयलाल बंशीलाल धर्मचंद पिता चैना मोहनी पुष्पा शान्ति पुत्रिया चैना हगामी पत्नी स्व0 चैना 1/2 बलाई सा0 देह खातेदार

152/1 0.0050 खादी ॥




02

मानी बेवा रामा 1/3 अमरा पिता केला
1/3 डाली देवी पत्नी पेमा 1/3 बलाई सा
देह खातेदार

152/2 0.0150 खादी ॥

अंतिम डिक्री आज तारीख 28.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(राजलक्ष्मी गहलोत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
रायपुर